No-1616/DJ&HD
12/9/17

F-44
561 dt 14/9/17

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

संदेश
हिन्दी दिवस, 14 सितंबर, 2017

आगामी "हिन्दी दिवस" 14 सितंबर 2017' की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 दिनांक 26 जनवरी 2004 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रभावी हो चुका है, जिसमें हिंदी को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने और बढ़ाने का पूरा उत्तरदायित्व हम सब पर है। आज यह आवश्यक है कि हम अपनी राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी को अधिकाधिक स्वीकार्य तथा इसके प्रयोग को सुगम बनाने के लिए सरकारी कामकाज में सरल और सुबोध हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें और राजभाषा हिन्दी के क्षेत्र में उपलब्ध नये साधनों और माध्यमों को अपनाकर हिन्दी भाषा के प्रयोग की गति और प्रगति को बढ़ाएँ। यह हर्ष का विषय है कि जिला न्यायालय दिल्ली में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के प्रति अधिकारियों और कर्मचारियों की रूची निरंतर बढ़ रही है।

आइए, हिन्दी दिवस के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर ऐसा वातावरण बनायें, जिसमें सब अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिन्दी भाषा में करें तथा अपने सभी सहकर्मियों को इस दिशा में और अधिक प्रेरित तथा प्रोत्साहित करें।

(तलवंत सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय)
दिल्ली।

संख्या 60003 – 60203 /हिन्दी/237/2017 दिल्ली, दिनाँक 12/9/17

संदेश की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. समस्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण, उत्तर–पश्चिम, दक्षिण–पश्चिम, पूर्व, ~~शाहदरा~~, नई दिल्ली, दक्षिण–पूर्व, पश्चिम, उत्तर, उत्तर–पूर्व, दिल्ली/नई दिल्ली (इस अनुरोध सहित कि इस सदेंश को आप अपने सबद्ध न्यायिक जिले में परिचालित करवाएँ)।
2. श्री अरुण कुमार आर्य, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दक्षिण–पूर्व/अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, श्री वीरेन्द्र गोयल, अति0जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली/सदस्य, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, श्री संजीव जैन, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण/सदस्य, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, महानिबंधक, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, कॉपरनिक्स मार्ग/ सदस्य, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, श्री तरूण सहरावत, अति0जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली/सदस्य, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली।
3. समस्त न्यायिक अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
4. समस्त जन सूचना अधिकारी, जनसपर्क अधिकारी, अति0 जनसपर्क अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय दिल्ली।
5. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी, लेखा अनुभाग, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभागों के अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
7. उप–सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकारी।
8. निजी सचिव, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली।
9. वेबसाइट समिति, अँग्रेजी–हिन्दी, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली (वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु)।

कृपया ध्यान दें : समस्त न्यायिक अधिकारियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी कर्मचारियों को इस संदेश से अवश्य अवगत करवाएँ।

(वीरेन्द्र गोयल)
अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली/
सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय दिल्ली।

Be circulated.

Shahdara District Courts
12/09/17